



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 26452 वर्ष 2026

रामू

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : आशीष गोयल

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : अरुण कुमार त्रिपाठी, जी.ए.

न्यायालय संख्या- 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

- आवेदक द्वारा प्रस्तुत पूरक हलफनामे को रिकॉर्ड में ले लिया गया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष गोयल, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण कुमार त्रिपाठी और राज्य की ओर से विद्वान एजीए श्री कुंवर तेजेंद्र बहादुर की दलीलें सुनी गईं।
- यह जमानत याचिका मामले की सुनवाई के दौरान, धारा 103(1) और 238 बीएनएस के तहत, पुलिस स्टेशन किरावली, जिला आगरा में अपराध संख्या 57/2026 में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि हालांकि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है, लेकिन अंतिम बार देखे जाने के साक्ष्य के अलावा, आवेदक के खिलाफ रिकॉर्ड में कोई अन्य साक्ष्य नहीं है।
- उन्होंने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, आवेदक ने सह-आरोपी अभिषेक के साथ मिलकर मृतक को ले गया था और उसके बाद उसका शव कुएं में मिला था।
- उन्होंने आगे यह भी कहा कि किसी अन्य पुख्ता सबूत के बिना, केवल उपरोक्त अंतिम बार देखे जाने के सबूत के आधार पर प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक ने मृतक की हत्या की है।
- उन्होंने आगे कहा कि वास्तव में आवेदक ने मृतक को सह-आरोपी अभिषेक के साथ नहीं ले गया था, जैसा कि आरोप लगाया गया है, और झूठे आरोप के आधार पर उसे सह-आरोपी अभिषेक के साथ इस मामले में आरोपी बनाया गया है।
- उन्होंने आगे तर्क दिया कि रिकॉर्ड से भी यह पता चलता है कि मृतक का शव कुएं में मिला था और उसकी मृत्यु डूबने से हुई थी, इसलिए इस स्तर पर इस संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है कि मृतक गलती से कुएं में गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई।
- उन्होंने आगे कहा कि आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 23.03.2026 से यानी पिछले चार महीनों से अधिक समय से जेल में है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

10. इसके विपरीत, विद्वान एजीए और मुखबिर के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि यद्यपि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है, लेकिन आवेदक के खिलाफ अंतिम बार देखे जाने का निर्णायक सबूत है, क्योंकि इससे पता चलता है कि उसने सह-आरोपी अभिषेक के साथ मृतक को ले जाकर बुरी तरह पीटा और उसकी हत्या करने के बाद उसके शरीर को कुएं में फेंक दिया।
11. उन्होंने आगे कहा कि आवेदक द्वारा दायर पूरक हलफनामे से भी यह पता चलता है कि सह-आरोपी अभिषेक को कई चोटें आई हैं और उसकी चोट की रिपोर्ट भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करती है।
12. उन्होंने आगे निवेदन किया कि मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, आवेदक की जमानत याचिका खारिज की जा सकती है।
13. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है और मामले के अभिलेख का अध्ययन किया है।
14. यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और अंतिम बार देखे जाने के साक्ष्य के अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक के विरुद्ध रिकॉर्ड में कोई अन्य साक्ष्य नहीं है। न्यायालय आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस तर्क में योग्यता पाता है कि किसी अन्य सहायक साक्ष्य के अभाव में, आमतौर पर मुख्य रूप से अंतिम बार देखे जाने के साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि किसी व्यक्ति ने मृतक की हत्या की है।
15. इसके अलावा, सह-आरोपी अभिषेक की मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि उसे कई चोटें आई थीं, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आवेदक भी घटनास्थल पर मौजूद था।
16. चाहे जो भी हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मृतक की मृत्यु डूबने से हुई थी और उसका शव कुएं में ही मिला था, इसलिए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया यह तर्क कि मृतक की आकस्मिक मृत्यु की संभावना को इस स्तर पर पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है।
17. इसके अलावा, आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 23.03.2026 से यानी पिछले चार महीनों से अधिक समय से जेल में है।
18. अतः, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।
19. तदनुसार, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, तत्काल जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
20. आवेदक- **रामू** को उपरोक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-
- (i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

21. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

22. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले की खूबियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

6 अगस्त, 2026

एसकेएम



Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।